2024 का विधेयक संख्यांक 110

[दि बैंकिंग लाज (अमेंडमेंट) बिल, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंककारी कम्पयनी(उपक्रमों का अर्जन और अन्तटरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कम्प नी (उपक्रमों का अर्जन और अन्त रण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनिय़म का संक्षिप्त नाम बैंककारी विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2024 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति किया जाएगा ।

अध्याय 2

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

धारा 42 का संशोधन ।

2. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 में,— 1934 का 2

(क) उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "पक्ष" से प्रत्येक कैलेंडर मास के पहले दिन से पंद्रहवें दिन या प्रत्येक कैलेंडर मास के सोलहवें दिन से अंतिम दिन, तक की कालावधि , जिसके अंतर्गत ये दोनों दिन हैं, अभिप्रेत है ;';

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) दीर्घ पंक्ति में,—

(अ) "प्रत्येक दूसरे शुक्रवार" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक पक्ष का अंतिम दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) "सात दिन" शब्दों के स्थान पर, "पांच दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दूसरे परंतुक में,—

(अ) "ऐसा दूसरा शुक्रवार" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे किसी पक्ष का अंतिम दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) "उस शुक्रवार" शब्दों के स्थान पर, "उस पक्ष का अंतिम दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (2क) का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 3

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का संशोधन

धारा 5 का संशोधन ।

3. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् 1949 का बैंककारी विनियमन अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 के खंड (ढङ) के उपखंड (i) "पांच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो करोड़ रुपए या ऐसी अन्य रकम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए" शब्द रखे जाएंगे । 1949 का 10

धारा 10क का संशोधन ।

4. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10क की उपधारा (2क) के खंड (i) में "आठ वर्ष" शब्दों के पश्चात् "और किसी सहकारी बैंक की दशा में दस वर्ष" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 16 का संशोधन ।

5. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 16 की उपधारा (3) में "रिजर्व बैंक" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"या केन्द्रीय सहकारी बैंक का निदेशक, जिसे उस राज्य सहकारी बैंक, जिसमें वह सदस्य है, के बोर्ड में निर्वाचित किया गया है" ।

6. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 में,— धारा 18 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "अंतिम शुक्रवार " शब्दों के स्थान पर "अंतिम दिन " शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "दूसरे शुक्रवारों" शब्दों के स्थान पर "पक्ष के अंतिम दिन " शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) "ऐसे प्रत्येक शुक्रवार को या यदि कोई ऐसा शुक्रवार " शब्दों के स्थान पर "पक्ष के अंतिम दिन को या यदि पक्ष का ऐसा कोई अंतिम दिन " शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "पक्ष" से प्रत्येक कैलेंडर मास के पहले दिन से पंद्रहवें दिन या प्रत्येक कैलेंडर मास के सोलहवें दिन से अंतिम दिन, तक की कालावधि , जिसके अंतर्गत ये दोनों दिन हैं, अभिप्रेत है ;';

7. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 में,— धारा 24 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2क) में, "शुक्रवार" शब्द के स्थान पर "दिन" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (3) में, "मास के दौरान प्रत्ये क दूसरे शुक्रवार को कारबार के बन्दख होने के समय अथवा यदि कोई शुक्रवार शब्दों के स्थान पर "मास के दौरान प्रत्ये।क पक्ष के अंतिम दिन को कारबार के बन्द9 होने के समय अथवा यदि ऐसे पक्ष का अंतिम दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में,—

(i) "यदि किसी दूसरे शुक्रवार को या यदि ऐसा शुक्रवार " शब्दों के स्थान पर "पक्ष का अंतिम दिन या किसी ऐसे पक्ष के अंतिम दिन " शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) यदि व्यातिक्रम अगले उत्तरवर्ती पक्ष के अंतिम दिन को या यदि ऐसा अंतिम दिन लोक अवकाश का दिन है तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को पुन: किया जाता है और , यथास्थिति, उत्तरवर्ती पक्षों को या पूर्ववर्ती कार्य दिवसों को जारी रहता है तो ऐसी प्रत्येरक कमी पर शास्तिरक ब्यासज की दर बढ़ा कर उस दूसरे पक्ष और प्रत्येरक उत्तरवर्ती दूसरे पक्ष या यदि ऐसे पक्ष का अंतिम दिन लोक अवकाश का दिन है तो उस पूर्ववर्ती कार्य दिवस की बाबत, जब व्यैतिक्रम जारी रहता है, बैंक दर से पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक कर दी जाएगी ।";

(घ) उपधारा (7) में,—

(i) "अगले उत्तरवर्ती दूसरे शुक्रवार को या यदि ऐसा शुक्रवार लोक अवकाश दिन है" शब्दों के स्थान पर "अगले उत्तरवर्ती पक्ष के अंतिम दिन या

यदि ऐसे उत्तरवर्ती पक्ष का अंतिम दिन लोक अवकाश का दिन है " शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "पश्चात्वर्ती दूसरा शुक्रवार" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक पश्चात्वर्ती पक्ष का अंतिम दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

8. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 में,—

(क) उपधारा (1) में "हर तिमाही के अन्ति म शुक्रवार को अथवा यदि वह शुक्रवार" शब्दों के स्थान पर "हर तिमाही का अन्तिकम दिन को अथवा यदि वह अंतिम दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में "पूर्ववर्ती तिमाही के अन्ति म शुक्रवार को कारबार के बंद होने के समय, अथवा यदि वह शुक्रवार " शब्दों के स्थान पर "पूर्ववर्ती तिमाही के अन्ति म दिन को कारबार के बंद होने के समय अथवा यदि वह अंतिम दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 27 का संशोधन ।

9. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 में उपधारा (1) में "उत्तरवर्ती मास के अन्ता से पूर्व प्रस्तुकत करेगी जिसमें संबंधित मास के अन्तिाम शुक्रवार को कारबा के बन्द। होने के समय अथवा यदि वह शुक्रवार" शब्दों के स्थान पर "उत्तरवर्ती मास के अन्तन से पूर्व प्रस्तुअत करेगी जिसमें संबंधित मास के अन्ति म दिन को कारबार के बन्द होने के समय अथवा यदि वह दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 45यक का संशोधन ।

10. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45यक में,—

(क) उपधारा (1) में, "एक व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "एक या चार से अनधिक व्यक्ति या तो अनुक्रमशः या साथ-साथ" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1क) जब नामनिर्देशन उपधारा (1) के अधीन अनुक्रमशः एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जाता है, नामनिर्देशन धारा 45यछ में विनिर्दिष्ट पूर्विकता के क्रम में केवल एक व्यक्ति के पक्ष में ही प्रभावी होगा ।

(1ख) जब नामनिर्देशन उपधारा (1) के अधीन अनुक्रमशः एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जाता है, नामनिर्देशन सभी ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में उस समानुपात में, जिसमें यह घोषित किया जाता है, में प्रभावी होगा और निम्नलिखित निबंधन और शर्तें लागू होंगी, अर्थात् :—

(क) नामनिर्देशन चार से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नहीं किया जाएगा ;

(ख) नामनिर्देशन अभिव्यक्त रूप से जमा की रकम के समानुपात का प्रत्येक नामनिर्देशिती के पक्ष में कथन करेगा ;

(ग) नामनिर्देशन जमा की समग्र रकम की बाबत किया जाएगा ;

(घ) यदि किसी नामनिर्देशिती की बैंककारी कंपनी से जमा प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो केवल ऐसे नामनिर्देशिती की बाबत

नामनिर्देशन अप्रभावी हो जाएगा और मृतक नामनिर्देशिती के पक्ष में नामनिर्देशित समानुपातिक जमा को ऐसे माना जाएगा, मानो जमा के उस समानुपात के पक्ष में नामनिर्देशन किया ही नहीं गया था,

और कोई नामनिर्देशन, जो खंड (क) से खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किसी भी निबंधन और शर्त का अनुपालन नहीं करता है, अविधिमान्य होगा, मानो, यथास्थिति, जमाकर्ता या सभी जमाकर्ताओं द्वारा नामनिर्देशन नहीं किया गया था ।"।

धारा 45यग का संशोधन ।

11. बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 45यग की उपधारा (1) में "एक व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "एक या अनुक्रमशः चार से अनधिक व्यक्ति " शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 45यङ का संशोधन ।

12. बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 45यङ की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) जहां एक या अधिक व्यष्टि किसी बैंककारी कंपनी से किसी लाकर को भाड़े पर लेते हैं, चाहे ऐसा लाकर ऐसी बैंककारी कंपनी के सुरक्षित निक्षेप कक्ष में या अन्यरत्र रखा गया है , वहां, यथास्थिति, ऐसा व्येष्टि या सभी व्यष्टि साथ मिलकर एक या अनुक्रमशः चार से अधिक व्यष्टियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेंगे, जिनको भाड़े पर लाकर को लेने वाले व्यष्टि या भाड़े पर लाकर को लेने वाले सभी ऐसे व्यष्टियों की मृत्यु की दशा में बैंककारी कंपनी लाकर तक पहुंच होने देगी और ऐसे लाकर की अंतर्वस्तुयओं को हटाने के लिए पहुंच प्रदान करेगी ।"।

नई धारा 45यछ का अंतःस्थापन ।

13. बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 में धारा 45यच के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

आनुक्रमिक मनिर्देशनों की पूर्विक्ता ।

"45यछ. (1) जहां धारा 45 यक की उपधारा (1) या धारा 45यग की उपधारा (1) या धारा 45यङ की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशन अनुक्रमशः एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जाता है, तो नामनिर्देशन पूर्विकता के निम्नलिखित क्रम में केवल एक व्यक्ति के पक्ष में प्रभावी होगा, अर्थात् :—

(क) पहले नामनिर्देशिती का नामनिर्देशन तब प्रभावी होगा जब नामनिर्देशिती उस व्यक्ति या व्यक्तियों, जिन्होंने नामनिर्देशन किया है, के पश्चात् जीवित रहता है ;

(ख) दूसरे नामनिर्देशिती का नामनिर्देशन, केवल पहले नामनिर्देशिती की मृत्यु के पश्चात् प्रभावी होगा ;

(ग) नामनिर्देशन के क्रम में किसी नीचे वाले नामनिर्देशिती का नामनिर्देशन, केवल उन सभी नामनिर्देशितियों, जिनका नाम नामनिर्देशन के क्रम में उच्चतर है, की मृत्यु होने के पश्चात् प्रभावी होगा ।

(2) जहां नामनिर्देशिती का क्रम उल्लिखित नहीं है, व्यक्तियों को उस क्रम में जिसमें उनके नाम नामनिर्देशन में हैं, नामनिर्देशित किया गया समझा जाएगा ।

(3) इस धारा के उपबंध, धारा 45यक की उपधारा (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में साथ-साथ किए गए नामनिर्देशनों पर लागू नहीं

होंगे ।"।

धारा 56 का संशोधन ।

14. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 56 में,— 1949 का 10

(क) खंड (ग) के उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) खंड (ढख) का लोप किया जाएगा;";

(ख) धारा 18 के प्रतिस्थापन से संबंधित खंड (त्र) की उपधारा (1) में,—

(i) "अंतिम शुक्रवार" शब्दों के स्थान पर "अंतिम दिन" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "दूसरे शुक्रवारों" शब्दों के स्थान पर "पखवाड़े के अंतिम दिन" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) "ऐसे शुक्रवार या यदि ऐसा कोई शुक्रवार" शब्दों के स्थान पर "पखवाड़े के अंतिम दिन या यदि किसी ऐसे पखवाड़े का अंतिम दिन" शब्द रखे जाएंगे;

(iv) स्पष्टीकरण के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "पखवाड़ा" से प्रत्येक कलैंडर मास के पन्द्रहवें दिन के पहले दिन या प्रत्येक कलैंडर मास के अंतिम दिन के सोलहवें दिन, दोनों दिवसों को सम्मिलित करते हुए अवधि अभिप्रेत है;' ।

अध्याय 4

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955

धारा 38 क का संशोधन ।

15. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38क में,— 1955 का 23

(क) पार्श्व शीर्ष में, "लाभांश" शब्द के स्थान पर "धन" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) स्टेट बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 125 के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को निम्नलिखित को अंतरित करेगा,— 2013 का 18

(i) कोई धन, जो स्टेट बैंक के असंदत्त लाभांश खाते में उसके अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त या अदावाकृत है;

(ii) सभी शेयर, जिनकी बाबत लाभांश उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट ब्यौरों को अतर्विष्ट करते हुए उसके विवरण के साथ सात निरंतर वर्षों की अवधि के लिए संदत्त नहीं किया गया है या दावाकृत नहीं किया गया है;

(iii) स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए किसी बंधपत्र पर कोई ब्याज

या मोचन, जो ऐसे ब्याज या ऐसे मोचन रकम के संदाय के शोध्य हो जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त या अदावाकृत है।

(4) कोई व्यक्ति जिसके शेयर या अदावाकृत अथवा असंदत्त धन उपधारा (3) के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित कर दिया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और धारा 125 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उक्त निधि से अंतरण या प्रतिदाय के दावे का हकदार होगा ।

2013 का 18

(5) उपधारा (3) के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किए गए धन का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए और उसमें विनिर्दिष्ट रीति से उपयोग किया जाएगा ।"।

2013 का 18

16. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 41 में, —

धारा 41 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, "कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

1956 का 1

2013 का 18

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) संपरीक्षकों को ऐसा पारिश्रमिक मिलेगा जैसा स्टेट बैंक नियत करे ।"।

अध्याय 5

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 का संशोधन

17. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् 1970 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (2) में,—

1970 का 5

धारा 10 का संशोधन ।

(क) "कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

1956 का 1

2013 का 18

(ख) "रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार से परामर्श करके नियत करे" शब्दों के स्थान पर "तत्स्थानी नया बैंक नियत करे" शब्द रखे जाएंगे ।

18. 1970 के अधिनियम की धारा 10ख में,—

धारा 10 ख का संशोधन ।

(क) पार्श्व शीर्ष में, "लाभांश का असंदत्त लाभांश लेखा में" शब्दों के स्थान पर "धन का" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(3) स्टेट बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 125 के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को निम्नलिखित को अंतरित करेगा,—

(i) कोई धन, जो स्टेट बैंक के असंदत्त लाभांश खाते में उसके अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त या अदावाकृत है ;

(ii) सभी शेयर, जिनकी बाबत लाभांश उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट ब्यौरों को अतर्विष्ट करते हुए उसके विवरण के साथ सात निरंतर वर्षों की अवधि के लिए संदत्त नहीं किया गया है या दावाकृत नहीं किया गया है ;

(iii) स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए किसी बंधपत्र पर कोई ब्याज या मोचन, जो ऐसे ब्याज या ऐसे मोचन रकम के संदाय के शोध्य हो जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त या अदावाकृत है ।

(3क) कोई व्यक्ति जिसके शेयर या अदावाकृत अथवा असंदत्त धन उपधारा (3) के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित कर दिया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और धारा 125 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उक्त निधि से अंतरण या प्रतिदाय के दावे का हकदार होगा । 2013 का 18

(ग) उपधारा (4) में, "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125" शब्द और अंक रखे जाएंगे; 1956 का 1 2013 का 18

अध्याय 6

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का संशोधन

धारा 10 का संशोधन ।

19. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् 1980 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (2) में, 1980 का 40

(क) "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141" शब्द और अंक रखे जाएंगे; 1956 का 1 2013 का 18

(ख) "रिजर्व बैंक, केंद्रीय सरकार से परामर्श करके नियत करे" शब्दों के स्थान पर "तत्स्थानी नया बैंक नियत करे" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 10ख का संशोधन ।

20. 1980 के अधिनियम की धारा 10ख में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, "लाभांश का असंदत्त लाभांश लेखा में" शब्दों के स्थान पर "धन का" शब्द रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

2013 का 18

"(3) स्टेट बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 125 के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को निम्नलिखित को अंतरित करेगा,—

(i) कोई धन, जो स्टेट बैंक के असंदत्त लाभांश खाते में उसके अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त या अदावाकृत है;

(ii) सभी शेयर, जिनकी बाबत लाभांश उक्त नियमों विनिर्दिष्ट ब्यौरों को अतर्विष्ट करते हुए उसके विवरण के साथ सात निरंतर वर्षों की अवधि के लिए संदत्त नहीं किया गया है या दावाकृत नहीं किया गया है;

(iii) स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए किसी बंधपत्र पर कोई ब्याज या मोचन, जो ऐसे ब्याज या ऐसे मोचन रकम के संदाय के शोध्य हो जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त या अदावाकृत है ।

(3क) कोई व्यक्ति जिसके शेयर या अदावाकृत अथवा असंदत्त धन उपधारा (3) के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित कर दिया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और धारा 125 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उक्त निधि से अंतरण या प्रतिदाय के दावे का हकदार होगा ।";

2013 का 18

1956 का 1
2013 का 18

(ग) उपधारा (4) में, "कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पिछले कई वर्ष से बैंककारी क्षेत्र का विकास हुआ है और बैंक प्रशासन और विनिधानकर्ताओं के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ("बैंककारी विनियमन अधिनियम "), भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में कतिपय संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

2. प्रस्तावित विधेयक अन्य बातों के साथ प्रशासन के मानकों में सुधार करने, बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करने में सतता का उपबंध करने, जमाकर्ताओं और निक्षेपकर्ताओं के लिए बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने, पब्लिक सेक्टर बैंकों में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने, नामनिर्देशनों के संबंध में ग्राहक के लिए सुविधा प्रदान करने और सहकारी बैंकों में निदेशकों की पदावधि में वृद्धि करने का उपबंध करने के लिए है ।

3. इसलिए, उक्त अधिनियमितियों को संशोधित करना और इस प्रयोजन के लिए संसद् में बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 को पुरःस्थापित करना आवश्यक समझा गया है । उक्त विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं अन्य बातों के साथ-साथ निम्न है—

(क) बैंककारी अधिनियम की धारा 5 के खंड (ढङ) का संशोधन करना ताकि किसी व्यष्टि, आदि द्वारा किसी फायदाप्रद हित के लिए शेयर धारण की ऊपरी सीमा को पांच लाख रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए करके "पर्याप्त हित" को पुनः परिभाषित करना जिससे वर्तमान मूल्य, जिसको अंतिम बार वर्ष 1968 में नियत किया गया था, उपदर्शित किया जा सके ;

(ख) सहकारी बैंकों में निदेशक (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) के कार्यकाल को आठ वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करने के लिए, बैंककारी अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (2क) के खंड (झ) का संशोधन करना, जिससे उसे संविधान (सत्तानवेंवा संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुरूप किया जा सके ;

(ग) बैंककारी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) का संशोधन करना ताकि किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक को किसी राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में सेवा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके ;

(घ) बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को कानूनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट करने की तारीखों का पुनरीक्षण करने के लिए, बैंककारी अधिनियम की धारा 18, धारा 24, धारा 25 और धारा 56 का संशोधन करना, जिससे रिपोर्ट करने में सतता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पक्ष या मास या तिमाही के अंतिम दिन के अनुरूप किया जा सके ;

(ङ) जमाकर्ताओं और इनके नामनिर्देशितियों विशेषकर जमा सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तुओं और सुरक्षा लाकरों के संबंध में सेवाओं को सरल बनाने के लिए बैंककारी अधिनियम की धारा 45यक, धारा 45यग, और धारा 45यङ का संशोधन करना जिससे एक साथ और अनुक्रमिक या पश्चातवर्ती नामनिर्देशनों के अनुबंधों सहित चार व्यक्तियों तक के नामनिर्देशन को अनुज्ञात किया जा सके ;

(च) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38क, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम , 1970 की धारा 10ख तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम , 1980 की धारा 10ख का संशोधन करना जिससे अदावाकृत लाभांश, शेयर और ब्याज या बंधपत्र मोचन का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण का उपबंध किया जा सके और व्यष्टिकों को उस निधि से अंतरण या प्रतिदाय का दावा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके ;

(छ) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 41, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम , 1970 की धारा 10, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम , 1980 की धारा 10 का संशोधन करना जिससे लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक के मामले में पब्लिक सेक्टर बैंकों को विवेकाधिकार का उपबंध किया जा सके ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उदेद्श्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
6 अगस्त, 2024

निर्मला सीतारामन

उपाबंध

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम संख्यांक 2) से उद्धरण

* * * * * *

अनुसूचित बैंकों की नकद आरक्षितियों का रिजर्व बैंक में रखा जाना।

42. (1) द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हर बैंक, रिजर्व बैंक में एक औसत दैनिक अतिशेष रखेगा जिसकी रकम उस बैंक के, उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरणी में यथादर्शित भारत में मांग और कालिक दायित्वों के योग के ऐसे प्रतिशत से जिसे बैंक, समय-समय पर देश में आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत के राजपत्र में अधिसूचित करे, कम नहीं होगी ।

* * * * * *

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

* * * * * *

(ख) "पक्ष" से शनिवार से आगामी द्वितीय शुक्रवार तक की कालावधि, जिसके अंतर्गत ये दोनों दिन हैं, अभिप्रेत है;

* * * * * *

(2) प्रत्येक अनुसूचित बैंक—

(क) मांग और कालिक दायित्वों की रकम और भारत में बैंकों से लिए गए अपने उधार की रकम को मांग और कालिक दायित्वों में वर्गीकृत करते हुए;

(ख) अपने द्वारा भारत में धारित उन नोटों और सिक्कों की जो वैध निविदा है कुल रकम;

(ग) अपने द्वारा भारत में रिजर्व बैंक में धारित अतिशेष;

(घ) अपने द्वारा अन्य बैंकों में चालू खाते में धारित अतिशेष और भारत में मांग पर और अल्प-सूचना पर प्रतिदेय धन;

(ङ) केन्द्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में बही मूल्य के अनुसार विनिधान जिनमें खजाना बिल और खजाना निक्षेप रसीदें सम्मिलित होंगी;

(च) भारत में अग्रिमों की रकम;

(छ) भारत में क्रय और मितीकाटा लेकर भुगतान किए गए अन्तर्देशीय-पत्र और क्रय और मितीकाटा लेकर भुगतान किए गए विदेशी विनिमयपत्र,

दर्शित करने वाली ऐसी विवरणी, जो ऐसे बैंक के दो उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होगी, प्रत्येक दूसरे शुक्रवार को काम-काज बन्द होने पर रिजर्व बैंक के पास भेजेगा और ऐसी प्रत्येक विवरणी उस तारीख से पांच दिन के भीतर भेजी जाएगी जिससे वह समबद्ध है :

* * * * * *

1881 का 26

परन्तु यह और कि जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन शुक्रवार ऐसा दूसरा शुक्रवार किसी अनुसूचित बैंक के एक या एक से अधिक कार्यालयों के लिए लोक अवकाश दिन है वहां विवरणी में ऐसे कार्यालय या कार्यालयों की बाबत पूर्ववर्ती काम वाले दिन के अंक दिए जाएंगे किन्तु ऐसा होने पर भी वह उस शुक्रवार से सम्बद्ध समझी जाएगी :

परन्तु यह और भी कि जहां रिजर्व बैंक का यह समाधान हो जाता है कि किसी अनुसूचित बैंक की दशा में ऐसे बैंक या उसकी शाखाओं की भौगोलिक स्थिति के कारण इस उपधारा के अधीन पाक्षिक विवरणी देना असाध्य है वहां रिजर्व बैंक ऐसे बैंक को यह अनुज्ञा दे सकेगा कि वह बैंक,—

(i) उपरोक्त कालावधि के भीतर उस पक्ष की अनन्तिम विवरणी दे, जिसके बाद उस तारीख से जिससे वह संबद्ध है, बीस दिन के भीतर एक अन्तिम विवरणी दी जाएगी, या

(ii) पाक्षिक विवरणी के बदले मासिक विवरणी दे, जो उस मास के, जिससे वह संबद्ध है, समाप्त होने के पश्चात् बीस दिन के भीतर और मास के लिए काम-काज बन्द होने के समय तक ऐसे बैंक के बारे में ऐसे ब्यौरे देकर भेजी जाएगी, जो इस उपधारा में विनिर्दिष्ट है ।

(2क) जहां किसी मास का अन्तिम शुक्रवार उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए दूसरा शुक्रवार नहीं है, वहां प्रत्येक अनुसूचित बैंक ऐसे अन्तिम शुक्रवार को काम-काज के बंद
1881 का 26 के समय तक या जहां ऐसा अन्तिम शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन लोक अवकाश दिन है वहां पूर्ववर्ती काम वाले दिन काम-काज के बन्द होने के समय तक उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे देते हुए, विशेष विवरणी रिजर्व बैंक को भेजेगा और ऐसी विवरणी उस तारीख के पश्चात् जिससे वह संबद्ध है, सात दिन के भीतर भेजी जाएगी ।

* * * * * *

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का अधिनियम संख्यांक 10) से उद्धरण

* * * * * *

5. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,— निर्वचन ।

* * * * * *

(ढङ)] "पर्याप्त हित" से—

(i) किसी कंपनी के संबंध में, किसी व्यष्टि या उसके पति या पत्नी या उसकी अवयस्क संतान द्वारा, चाहे अलग-अलग या मिलाकर उस उनस शेयरों में जिन पर समादत्त रकम पांच लाख रुपए से या कंपनी की समादत्त पूंजी के दस प्रतिशत से, इनमें से जो भी कम हो, उससे अधिक है, फायदाप्रद हित का धारण किया जाना अभिप्रेत है ;

* * * * * *

निदेशक बोर्ड में वृत्तिक या अन्य अनुभव वाले व्यक्तियों का होना ।

10क. (1) * * * * *

(2क) कंपनी अधिनियम, 1956 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,— 1956 का 1

(i) किसी बैंककारी कंपनी के किसी अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न कोई निदेशक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लगातार आठ वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा ;

* * * * * *

सामान्य निदेशकों विषयक प्रतिषेध ।

16. (1) * * * * *

(3) उपधारा (1) की कोई बात रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किसी निदेशक को या उसके संबंध में लागू न होगी ।

* * * * * *

नकद आरक्षिति ।

18. (1) प्रत्येक बैकंकारी कंपनी, जो अनुसूचित बैंक नहीं है, भारत में दैनिक आधार पर] अपने पास नकद आरक्षिति के रूप में अथवा रिजर्व बैंक के पास किसी चालू खाते में अतिशेष के रूप में अथवा चालू खातों में शुद्ध अतिशेष के रूप में अथवा पूर्वोक्त किसी एक या अधिक रूप में उतनी राशि रखेगी जितनी पूर्ववर्ती द्वितीय पक्ष के अंतिम शुक्रवार को भारत में उसके मांग और कालिक दायित्वों के योग के ऐसे प्रतिशत के बराबर हो, जो रिजर्व बैंक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, देश की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे और प्रत्येक मास के बीसवें दिन के पूर्व रिजर्व बैंक को विवरणी देगी जिसमें वह रकम, जो पूर्ववर्ती मास के दौरान दूसरे शुक्रवारों को इस प्रकार धारित थी, दर्शित होगी और जिसके साथ ऐसे प्रत्येक शुक्रवार को या यदि ऐसा कोई शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन लोक अवकाश दिन है तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कारबार के बन्द होने के समय भारत में उसकी मांग और कालिक दायित्वों की विशिष्टियां होंगी । 1881 का 26

स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा 24 में—

* * * * * *

(ख) "पक्ष" में शनिवार से आगामी द्वितीय शुक्रवार तक की अवधि जिसके अंतर्गत ये दोनों दिन हैं, अभिप्रेत है ;

* * * * * *

आस्तियों की प्रतिशतता बनाए रखना ।

24. (2क) कोई अनुसूचित बैंक, उस औसत दैनिक अतिशेष के अतिरिक्त, जो वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अधीन रखने के लिए अपेक्षित है या जिसे रखने की उससे अपेक्षा की जाए तथा प्रत्येक अन्य बैंककारी कंपनी, उस नकद आरक्षिति के अतिरिक्त, जिसे रखने की धारा 18 के अधीन उससे अपेक्षा है, भारत में ऐसी आस्तियां रखेगा, जिनका मूल्य द्वितीय पूर्ववर्ती पक्ष के अन्तिम शुक्रवार को भारत में उसकी कुल मांग और कालिक दायित्वों के चालीस प्रतिशत से अनधिक ऐसे प्रतिशत से कम नहीं होगा, जो रिजर्व बैंक, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसी आस्तियां, ऐसे प्ररूप और रीति में रखी जाएंगी, जो ऐसी 1934 का 2

अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) इस धारा के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक बैंककारी कंपनी रिजर्व बैंक को विहित प्ररूप में और विहित रीति से एक मासिक विवरणी, उस मास के, जिससे वह सम्बन्धित है, अंत के पश्चात् बीस दिन के भीतर देगी जिसमें उस मास के दौरान प्रत्येक दूसरे शुक्रवार को कारबार के बन्द होने के समय अथवा यदि कोई शुक्रवार लोक अवकाश दिन है तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कारबार के बंद होने के समय इस धारा के अनुसार रखी गई उसकी आस्तियों की और भारत में उसकी मांग और कालिक दायित्वों की विशिष्टियां दर्शित होंगी :

परन्तु प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक भी राष्ट्रीय बैंक को उक्त विवरणी की प्रति देगा ।

(4) (क) यदि किसी दूसरे शुक्रवार को यदि ऐसा शुक्रवार लोक अवकाश दिन है तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को किसी बैंककारी कंपनी द्वारा उस दिन कारबार के बंद होने के समय रखी गई रकम उपधारा (2क) द्वारा या अधीन विहित न्यूनतम से कम पड़ती है तो ऐसी बैंककारी कंपनी उस दिन के व्यतिक्रम की बाबत रिजर्व बैंक को उस दिन के लिए उतनी रकम पर बैंक दर से अधिक तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर शास्तिक ब्याज देने के लिए दायी होगी, जितनी से वास्तव में रखी गई रकम उस दिन विहित न्यूनतम रकम से कम पड़ती है; और

(ख) यदि व्यतिक्रम अगले उत्तरवर्ती शुक्रवार को या यदि ऐसा शुक्रवार लोक अवकाश दिन है तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को पुन: किया जाता है और, यथास्थिति, उत्तरवर्ती दूसरे शुक्रवारों या पूर्ववर्ती कार्य दिवसों को जारी रहता है तो ऐसी प्रत्येक कमी पर शास्तिक ब्याज की दर बढ़ा कर उस दूसरे शुक्रवार और प्रत्येक उत्तरवर्ती दूसरे शुक्रवार या यदि ऐसा शुक्रवार लोक अवकाश दिन है तो उस पूर्ववर्ती कार्य दिवस की बाबत, जब व्यतिक्रम जारी रहता है, बैंक दर से पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक कर दी जाएगी ।

* * * * * *

(7) जब किसी बैंककारी कंपनी द्वारा उपधारा (4) के खंड (ख) के उपबंधों के अधीन बैंक दर से पांच प्रतिशत अधिक की बढ़ी हुई दर पर शास्तिक ब्याज संदेय हो गया है, और तत्पश्चात् यदि अगले उत्तरवर्ती दूसरे शुक्रवार को या यदि ऐसा शुक्रवार लोक अवकाश दिन है तो अगले पूर्ववर्ती कार्य दिवस को रखे जाने के लिए अपेक्षित रकम विहित न्यूनतम से तब भी कम है तो बैंककारी कंपनी का प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक या सचिव और जो जानते हुए, जानबूझकर व्यतिक्रम का पक्षकार है, ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, और ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो, यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती दूसरे शुक्रवार या पश्चात्वर्ती कार्य दिवस के लिए जिसको व्यतिक्रम जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * * *

1881 का 26

25. (1) हर तिमाही के अन्तिम शुक्रवार को अथवा यदि वह शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन लोक अवकाश दिन है तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को

भारत में आस्तियां ।

कारबार के बन्द होने के समय हर बैंककारी कंपनी की भारत में आस्तियां, भारत में उसके कालिक और मांग दायित्वों के पचहत्तर प्रतिशत से कम न होंगी ।

(2) प्रत्येक बैंककारी कंपनी हर तिमाही के अन्त से एक मास के अन्दर, रिजर्व बैंक को उपधारा (1) में निर्दिष्ट आस्तियों और दायित्वों की, जैसी वे पूर्ववर्ती तिमाही के अन्तिम शुक्रवार को कारबार के बंद होने के समय, अथवा यदि वह शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन लोक अवकाश दिन है तो पूर्वगामी कार्य दिवस को कारबार बन्द होने के समय हों, विहित प्ररूप में और विहित रीति से एक विवरणी प्रस्तुत करेगी : 1881 का 26

परन्तु प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक राष्ट्रीय बैंक को उक्त विवरणी की एक प्रति भी देगा ।

* * * * * *

मासिक विवरणियां तथा अन्य विवरणियां और जानकारी मांगने की शक्ति ।

27. (1) प्रत्येक बैंककारी कंपनी रिजर्व बैंक को विहित प्ररूप में और विहित रीति से प्रत्येक मास के लिए एक विवरणी, उस मास के जिससे वह संबंधित है, उत्तरवर्ती मास के अन्त से पूर्व प्रस्तुत करेगी जिसमें संबंधित मास के अन्तिम शुक्रवार को कारबार के बन्द होने के समय अथवा यदि वह शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन अवकाश दिन है तो पूर्वगामी कार्य दिवस को कारबार के बन्द होने के समय भारत में उसकी आस्तियां और दायित्व दर्शित होंगे । 1881 का 26

* * * * * *

निक्षेपकर्ताओं के धन के संदाय के लिए नामनिर्देशन ।

45यक. (1) जहां कोई निक्षेप किसी बैंककारी कंपनी द्वारा एक या अधिक व्यक्तियों के नाम में धारित है, वहां, यथास्थिति, निक्षेपकर्ता या सभी निक्षेपकर्ता मिलकर, ऐसे एक व्यक्ति को विहित रीति से नामनिर्दिष्ट कर सकेंगे जिसको एकमात्र निक्षेपकर्ता या निक्षेपकर्ताओं की मृत्यु की दशा में निक्षेप की रकम ऐसी बैंककारी कंपनी द्वारा वापस की जाएगी ।

* * * * * *

बैंककारी कंपनी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के वापस किए जाने के लिए नामनिर्देशन ।

45यग. (1) जहां कोई व्यक्ति कोई वस्तु किसी बैंककारी कंपनी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखता है वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे एक व्यक्ति को विहित रीति से नामनिर्देशित कर सकेगा जिसको सुरक्षित अभिरक्षा में उस वस्तु को रखने वाले व्यक्ति की मृत्यु की दशा में ऐसी वस्तु बैंककारी कंपनी द्वारा वापस की जा सकेगी ।

* * * * * *

सुरक्षा लाकरों की अंतर्वस्तुओं का निर्मुक्त किया जाना ।

45यङ. (1) जहां कोई व्यक्ति किसी बैंककारी कंपनी से किसी लाकर को भाड़े पर लेने वाला एकमात्र व्यक्ति है, चाहे ऐसा लाकर ऐसी बैंककारी कंपनी के सुरक्षित निक्षेप कक्ष में या अन्यत्र रखा गया है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे एक व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगा जिसको ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की दशा में बैंककारी कंपनी लाकर तक पहुंच होने देगी और ऐसे लाकर की अंतर्वस्तुओं को हटाने की स्वतंत्रता देगी ।

* * * * * *

भाग 5

अधिनियम का सहकारी बैंकों को लागू होना

अधिनियम का परिवर्तनों सहित सहकारी सोसाइटियों को लागू होना ।

56. तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित परिवर्तनों सहित, सहकारी सोसाइटियों को या उनके संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे बैंककारी कंपनियों को या उनके संबंध में लागू होते हैं, अर्थात् :—

* * * * * *

(ग) धारा 5 में,—

* * * * * *

(ii) खंड (चच), खंड (ज) और खंड (टख) का लोप किया जाएगा ;

* * * * * *

(ञ) धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

नकद आरक्षिति ।

"18. (1) प्रत्येक सहकारी बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में उस समय सम्मिलित सहकारी बैंक नहीं है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अनुसूचित सहकारी बैंक" कहा गया है) भारत में अपने पास नकद आरक्षिति के रूप में अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या संबद्ध राज्य के राज्य सहकारी बैंक के पास किसी चालू खाते में अतिशेष के रूप में अथवा चालू खातों में शुद्ध अतिशेष के रूप में या किसी प्राथमिक सहकारी बैंक की दशा में संबद्ध जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक के पास अथवा पूर्वोक्त किसी एक या अधिक रूप में, इतनी राशि रखेगा । जो रिजर्व बैंक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा देश में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, जितनी पूर्ववर्ती द्वितीय पक्ष के अंतिम शुक्रवार को भारत में उसकी मांग और कालिक दायित्वों के योग के बराबर हो, और प्रत्येक मास के पंद्रहवें दिन से पूर्व रिजर्व बैंक को विवरणी देगा जिसमें वह रकम, जो किसी मास के ऐसे प्रतिशत] दौरान दूसरे शुक्रवारों को इस प्रकार धारित थी, दर्शित होगी और जिसके साथ ऐसे शुक्रवार या यदि ऐसा कोई शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन लोक अवकाश दिन है तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कारबार के बंद होने के समय भारत में उसकी मांग और कालिक दायित्वों की विशिष्टियां होंगी ।

1934 का 2

1881 का 26

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 24 में—

* * * * * *

(ख) "पक्ष" से, शनिवार से आगामी द्वितीय शुक्रवार तक की अवधि, जिसके अंतर्गत ये दोनो दिन हैं, अभिप्रेत है ;

* * * * * *

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 23) से उद्धरण

* * * * * *

असंदत्त या अदावाकृत लाभांशों का अंतरण ।

38क. (1) * * * * *

(3) इस धारा के अनुसरण में स्टेट बैंक के असंदत्त लाभांश लेखा में अंतरित कोई धन, जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक असंदत्त या अदावाकृत रहता है, स्टेट बैंक द्वारा, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने हेतु तथा उस धारा में विनिर्दिष्ट रीति में, अंतरित किया जाएगा ।

* * * * * *

संपरीक्षा ।

41. (1) स्टेट बैंक के कार्यकलाप की संपरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के अधीन कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से अर्ह दो या अधिक संपरीक्षकों द्वारा] की जाएगी जो स्टेट बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से] नियुक्त किए जाएंगे । 1956 का 1

(2) संपरीक्षकों को ऐसा पारिश्रमिक मिलेगा जैसा रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार से परामर्श करके नियत करे ।

* * * * * *

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 5) से उद्धरण

* * * * * *

अध्याय 5

प्रकीर्ण

लेखाओं का बन्द किया जाना और लाभों का वियन ।

10. (1) * * * * *

(2) तत्स्थानी नए बैंक का प्रत्येक संपरीक्षक ऐसा व्यक्ति होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 के अधीन कंपनी के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अर्हित हो और ऐसा पारिश्रमिक पाएगा जो रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, नियत करे ।

* * * * * *

असंदत्त या अदावाकृत लाभांश का असंदत्त लाभांश लेखा में अन्तरण ।

10ख. (1) * * * * *

(3) इस धारा के अनुसरण में तत्स्थानी नए बैंक से संदत्त लाभांश लेखा में अंतरित कोई ऐसा धन, जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक असंदत्त या अदावाकृत रहता है, तत्स्थानी नए बैंक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा । 1956 का 1

(4) उपधारा (3) के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित धन

1956 का 1 का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए और रीति से उपयोग किया जाएगा ।

* * * * * *

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का अधिनियम संख्यांक 40) से उद्धरण

* * * * * *

अध्याय 5

प्रकीर्ण

10. (1) * * * * * लेखाओं का बन्द किया जाना और लाभों का व्ययन ।

(2) तत्स्थानी नए बैंक का प्रत्येक लेखापरीक्षक, ऐसा व्यक्ति होगा जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के अधीन कम्पनी के लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने 1956 का 1 के लिए अर्हित है और ऐसा पारिश्रमिक पाएगा जो रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, नियत करे ।

* * * * * *

10ख. (1) * * * * * असंदत्त या अदावाकृत लाभांश का असंदत्त लाभांश लेखा में अन्तरण ।

(3) इस धारा के अनुसरण में, तत्स्थानी नए बैंक के असंदत्त लाभांश लेखा में अंतरित कोई ऐसा धन, जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए 1956 का 1 असंदत्त या अदावाकृत रहता है, तत्स्थानी नए बैंक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित धन 1956 का 1 का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए और रीति से उपयोग किया जाएगा ।

* * * * * *